अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–II/III/476 जयपुर दिनांक : 19/07/2024

परिपत्र

निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–I/II/कनिष्ठ लेखाकार) कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों के संबंध में निदेशालय के परिपत्र दिनांक 17.07.2023, 29.09.2023 एवं उक्त परिपत्रों के पश्चात् जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों पर कतिपय स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तण होने के पश्चात् आदिनांक तक भी अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन **उक्त परिपत्रों एवं आदेशों के क्रम में आदिनांक तक भी कतिपय कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण नही किया गया है।**

सक्षम स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना करने में कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण पद पर कार्यग्रहण नहीं करना एक अत्यन्त गम्भीर विषय है। अतः **स्थानान्तरित अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों (माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिकों के अतिरिक्त) को निदेशालय स्तर से दिनांक 19.07.2024 से तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाकर** निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरित पद पर तत्काल अपनी कार्यग्रहण की सूचना ई–मेल/डाक/दस्ती से इस निदेशालय को अविलंब भिजवावे, इसमें किसी भी प्रकार के विलंब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए **कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।**

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 4 (ई)(1)(6)/स्थानान्तरण/अलेसे–II/III/476 जयपुर दिनांक : 19/07/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी ....।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त परिपत्र की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित कार्मिक .... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–I/II/कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि वे वर्तमान कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं को कार्यमुक्त मानते हुए स्थानान्तरित पद/स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर सूचना विभागीय ई–मेल पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

G:\OFFICE ORDER 18-07-2024.DOCX 23